



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
रोहतक।

यादी क्रमांक स्थापना-III / टीई / एई-5 / फिजियोथैरेपी / डी.सी.रेट / 2016 / 3144

विषय:-

अनुबन्ध आधार पर चयन होने उपरान्त प्रार्थी को कार्यग्रहण करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुसार / फिजियोथैरेपी अनुदेशक के रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिये कमेटी द्वारा तैयार की गई मैरिट/चयन सूची के आधार पर जो प्रार्थी मैरिट में वरिष्ठ हैं, उनको सम्बन्धित केंद्रगरी में कार्यग्रहण करवाया जाना है। जिस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यग्रहण करवाया जाना है, उसका ब्यौरा निम्न अनुसार दिया जाता है

:- Degree/ Diploma Post= 02 Physiotherapy Technical Trade.

SR. No	Name of Candidate/ Address	Catagery	Name of Institute	Remarks
1/1	Shweta Dalal D/o Sh. Ram Parkash H. No. 537 Ward No. 29 (Chaudhary Lane, Tilak Nagar, Rohtak)	GEN	GITI Rohtak	Against vacant post.

अतः आपको आदेश दिए जाते हैं कि आप सम्बन्धित व्यवसाय में दाखिला पूर्ण होने की स्थिति में ही प्रार्थी से नियमानुसार उनके मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए Service Agreement में CWP No 21132 of 2016 Naveen Dahiya V/s State of Haryana & Others के निर्णय की शर्त भी लगाई जाये (प्रति संलग्न) कार्यग्रहण करवाने उपरान्त उसकी कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। इसके साथ-साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता / अनुभव प्रमाण पत्रों की वैरीफिकेशन तुरन्त करवाई जाये, यदि प्रार्थी का कोई प्रमाण पत्र गलत/बोगस पाया जाता है तो उसकी सेवाए तुरन्त समाप्त करते हुए निदेशालय को सूचित किया जाये।

98/15/117

सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

CC. सहायक निदेशक/नोडल ऑफिसर (वैब साईट)

18/11/17
DSE-TV / SE-TV

226

CWP-21132-2016

NAVEEN DAHIYA V/S STATE OF HARYANA AND ORS.

Present: Mr. Bhupinder Malik, Advocate
for the petitioner.

Mr. Keshav Gupta, Asstt.A.G., Haryana.

Learned State counsel prays for and is granted four weeks to
file reply.

List on 30.01.2017.

The appointments made, if any, in pursuance to the
advertisement dated 25.04.2016 shall be subject to the outcome of this
petition.

December 14, 2016

SwarnjitS

(ANUPINDER SINGH GREWAL)
JUDGE



PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

20/12/16
9